मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय
बल्लभ भवन, भोपाल–462002

क्र. एफ–52/1/10/यो/19 – 57 भोपाल, दिनांक 03.01.2011

प्रति,

समस्त मुख्य अभियन्ता
सागरत अधीक्षण यंत्री,
समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय :– कार्यों के सम्पादन के संबंध में।

******

कतिपय प्रकरणों में यह पाया गया है कि ठेकेदार द्वारा अत्यन्त कम निविदा दरें प्रस्तुत की जाती है तथा बाद में कुछ ऐसे आयटम्स जिनमें उसे अधिक लाभ प्राप्त होता है, का संपादन कर उसका भुगतान प्राप्त करने के उपरान्त कार्य को आधा–अधूरा छोड़ दिया जाता है। शेष कार्य की पुनः निविदा आमंत्रित कर कार्य को पूर्ण कराने में अतिरिक्त लागत के साथ–साथ अत्यधिक बिलम्ब भी होता है जिससे विभाग की छवि धूमिल होती है। अनुबंध में अतिरिक्त लागत वसूली का प्रावधान होने के बावजूद वसूली करने में अत्यधिक दिक्कतें आती है तथा कई बार वसूली करना लगभग असंभव हो जाता है। अतः ऐसे प्रकरणों में कार्य संपादन एवं भुगतान में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है ताकि ऐसी स्थिति निर्मित न हो एवं कार्य समयसीमा में पूर्ण हो सके।

कतिपय प्रकरणों में यह पाया गया है कि ठेकेदार द्वारा मिट्टी का कार्य पूर्ण स्वीकृत लंबाई में एक साथ प्रारंभ कर दिया जाता है एवं इसका भुगतान प्राप्त कर कार्य अधूरा छोड़ दिया जाता है। ठेकेदार की इसतरह की कार्यप्रणाली से यातायात में असुविधा होने के साथ–साथ कार्य भी अधूरा छूट जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए कार्य संपादन हेतु कार्यक्रम (Work Programme) इस तरह से तैयार किया जाये कि कार्य की समस्त गतिविधियाँ यथा मिट्टी का कार्य, जी.एस.बी., बेसकोर्स एवं डामर का कार्य एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार साथ–साथ संपादित किया जा सके। कार्यादेश होने के पश्चात ठेकेदार से कार्यपूर्ण करने हेतु जो वर्क प्रोग्राम प्राप्त किया जाये उसमें एक समय पर एक निश्चित स्ट्रेच, जिसकी लंबाई कुल कार्य तथा कार्यस्थल की परिस्थितियो के अनुसार कार्यपालन यंत्री द्वारा तय की जाएगी, में ही मिट्टी का कार्य करने हेतु प्लान किया जाये तथा उस स्ट्रेच में जी.एस.बी. का कार्य प्रारंभ होने के पश्चात ही अगले स्ट्रेच में मिट्टी के कार्य हेतु प्रावधान रखा जाए। इसी प्रकार पहले एवं दूसरे स्ट्रेच में क्रमशः बेसकोर्स एवं जी.एस.बी. का कार्य प्रारंभ होने के पश्चात ही तीसरे स्ट्रेच में मिट्टी का कार्य किया जाये। जिन स्ट्रेचेज में जी.एस.बी. एवं बेसकोर्स का कार्य पूर्ण किया गया है उसमें डामरीकरण का कार्य तुरन्त प्रारंभ किया जाये। इस तरह से निर्माण की सभी गतिविधियाँ एक निश्चित क्रम में साथ–साथ संपादित हो सकेगी। कार्यपालन यंत्री बारचार्ट के रूप में उपरोक्तानुसार Work Programme को अनुमोदित करेंगे एवं कार्य संपादन भी उसी के अनुसार सुनिश्चित करेंगे तथा यह Work Programme अनुबंध का हिस्सा माना जायेगा। यदि ठेकेदार Work Programme का पालन न करते हुए पहले स्ट्रेच में जी.एस.बी. का कार्य प्रारंभ किए बगैर

दूसरे एवं तीसरे स्ट्रेच में मिट्टी का कार्य प्रारंभ कर देते है तो उस कार्य का भुगतान तब तक नहीं करेंगे जब तक ठेकेदार पहले व दूसरे कि.मी. (स्ट्रेच) में उपरोक्तानुसार बेसकोर्स एवं जी.एस. बी. का कार्य प्रारंभ नहीं कर देता। कार्यपालन यंत्री कार्य की मात्रा, परिस्थितियों एवं निर्धारित समय सीमा में कार्यपूर्ण कराने हेतु Work Programme अनुमोदित करते समय अपने विवेक का उपयोग इस प्रकार करेंगे कि ठेकेदार कार्य अधूरा छोड़ने हेतु प्रेरित न हो। उपरोक्त समस्त कार्यवाही में अनुबंध का पालन भी सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Cprakash 3/1/2011
(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

पृ.क्र. एफ–52/1/10/यो/19 - 58 भोपाल, दिनांक 03.01.2011

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।

Cprakash 3/1/2011
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग